राजस्थान सरकार
राजकीय उपक्रम विभाग
राजकीय उपक्रम ब्यूरो

क्रमांक : एफ2(4)बीपीई / 89 / पार्ट–II / 167 जयपुर, दिनांक : 13/04/22

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक,
समस्त राजकीय उपक्रम।

विषयः–राजकीय उपक्रमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संशोधन बाबत।
संदर्भः–वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 11.04.2022 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.03.2022

महोदय,

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प12(3)वित्त(नियम)2022 दिनांक 11.04.2022 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में आने वाले राजकीय उपक्रमों आदि के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों पर भी प्रभावी होगा। इस हेतु संशोधित पेंशन दिनांक 01.04.2022 से निर्धारित की जाकर तदनुसार संशोधित पेंशन देय होगी। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संशोधन के संबंध में समय–समय पर जारी आदेश / मेमोरेण्डम आदि के अनुसार ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में आने वाले उपक्रमों के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संशोधित की जा सकेगी।

संबंधित संस्था इन आदेशों को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर Adopt करने का प्रावधान करेंगी।

भवदीया,

(कीर्ति जैन)
संयुक्त शासन सचिव

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

7301, तृतीय तल, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
Email Id-BPE@RAJASTHAN.GOV.IN, Ph. 0141-2227064
D:\BPE 2020\BPE Staff 2020\Payal Madam\General.docx

राजकीय उपक्रम विभाग
क्रमांक 138/46
दिनांक 12/4/22

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.12(3)वित्त(नियम)/2022 जयपुर, दिनांक : 11 APR 2022

परिपत्र

विषयः राजकीय उपक्रमों / स्वशासी निकायों / विश्वविद्यालय आदि के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संशोधन बाबत।
संदर्भः वित्त विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24–3–2022

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि यह परिपत्र राजकीय उपक्रमों / स्वशासी निकायों / विश्वविद्यालय आदि के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों पर भी प्रभावी होगा। इस हेतु संशोधित पेंशन दिनांक 1–4–2022 से निर्धारित की जाकर तदनुसार संशोधित पेंशन देय होगी। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संशोधन के संबंध में समय समय पर जारी आदेश / मेमोरेण्डम आदि के अनुसार उक्त संस्थाओं के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संशोधित की जा सकेगी।

राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों आदि के संबंध में दिशा–निर्देश उपरोक्त सहमति के आधार पर राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थानों के लिये दिशा–निर्देश संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे। संबंधित संस्था इन आदेशों को समक्ष स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर adopt करने का प्रावधान करेंगी।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. समस्त शासन सचिव / समस्त विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. रक्षित पत्रावली

11/4/22
(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RAPSAR — 03/2022)